नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी, 1999)

1.1 दूरसंचार का महत्व

भारत सरकार (सरकार) ने यह माना है कि विश्व-स्तर की दूरसंचार-अवसंरचना तथा सूचना की व्यवस्था करना देश के त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह न केवल सूचना-प्रौद्योगिकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि आगे चल कर देश की जीडीपी में इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तदनुसार, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसकी अपनी एक ऐसी व्यापक एवं दूरगामी दूरसंचार-नीति हो, जो इस उद्योग के विकास के लिए एक संरचना का निर्माण करे।

1.2 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1884-उद्देश्य एवं उपलब्धियां

1994 में, सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति की घोषणा की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। इसमें मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, वाजिब मूल्य पर विश्व-स्तर की सेवाएं प्रदान करना, भारत में दूरसंचार-उपस्कर के प्रमुख विनिर्माण/निर्यात-आधार के रूप में उभरने की बात सुनिश्चित करना तथा सभी गांवों में सार्वभौमिक बुनियादी दूरसंचार-सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल था। सरकार ने 1997 तक प्राप्त किए जाने वाले कई विशेष लक्ष्यों की भी घोषणा की। राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 में 500 की शहरी जनसंख्या के लिए पीसीओ तथा 6 लाख गावों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की तुलना में दूरसंचार-विभाग ने प्रति 522 की शहरी आबादी के लिए 1 पीसीओ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया तथा केवल 3.1 लाख गांवों में ही टेलीफोन-सुविधा प्रदान कर पाया। जहां तक देश में कुल टेलीफोन-लाइनों की व्यवस्था करने का संबंध है, दूसंचार-विभाग ने आठवीं योजना के 7.5 मिलियन लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 8.73 मिलियन टेलीफोन लाइनें प्रदान की हैं।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में भी यह स्वीकार किया गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संसाधन, मात्र सरकारी-स्रोत से ही उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और यह निष्कर्ष निकाला हैं कि संसाधनों के इस अंतराल को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का होना जरूरी था। सरकार ने 1990 के प्रारम्भ से एक चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र भागीदारी आमंत्रित की जिसमें शुरू में पेजिंग-सेवा और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन-सेवाएं (सीएमटीएस) जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं और तत्पश्चात स्थिर टेलीफोन-सेवाएं (एफएसटी) निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया। बोली की एक प्रतियोगी प्रक्रिया के बाद, चार महानगरों में 8 सीएमटीएस-प्रचालकों, 18 राज्यों के सर्किलों में 14 सीएमटीएस-प्रचालकों, 6 राज्यों के सर्किलां में 6 बीटीएस प्रचालकों तथा 27 शहरों एवं 18 राज्यों के सर्किलों में पेजिंग-प्रचालकों को लाइसेंस दिए गए थे। क्लोज्ड यूजर ग्रुपों के लिए डाटा-सेवाएं प्रदान करने के लिए वी-सेट सेवाओं को उदार बनाया गया। निजी क्षेत्र के 14 प्रचालकों को लाइसेंस जारी किए गए, जिसमें से केवल 9 लाइसेंस धारक काम कर रहे हैं। सरकार ने हाल में निजी प्रचालकों द्वारा इंटरनेट सर्विस-प्रोविजन (आईएसपी) के लिए नीति घोषित की और इसके लिए लाइसेंस देना शुरू किया है। सरकार ने उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन (जीएसपीसीएस) प्रारंभ करने की भी घोषणा की और इसके लिए एक अस्थाई लाइसेंस जारी किया। अन्य प्रत्याशित जीएमपीसीएस-प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार ने स्वीकार किया है कि अब तक निजीकरण का परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा। यद्यपि, महानगरों और राज्यों में सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क-योजना में तेजी से वृद्धि हुई है और इस समय इसके एक मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता हो गए हैं, लेकिन अधिकांश परियोजनाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेल्यूलर और बुनियादी सेवा-प्रचालकों के अनुसार, इसका मुख्य कारण इन परियोजनाओं द्वारा अनुमान से काफी कम राजस्व की वसूली किया जाना रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप, प्रचालक अपनी परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और इसीलिए वे अपनी परियोजनाओं

को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। निजी प्रचालकों द्वारा लाइसेंस-प्राप्त 6 सर्किलों में से केवल दो में ही बुनियादी दूरसंचार-सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके कारण, राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 के उद्देश्यों में यथा-प्रस्तावित कुछ एक लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 में जो परिकल्पना की गयी थी, उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का प्रवेश कम रहा है।

सरकार ने, उपयुक्त गतिविधियों के प्रति चिन्ता जताई, क्योंकि इससे इस सेक्टर के आगे के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा सरकार न इस सेक्टर के लिए दूरसंचार-नीति के ढ़ांचे पर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

1.3 नई दूरसंचार-नीति की आवश्यकता

राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 के पूरे नहीं किए जा रहे कुछ उद्देश्यों के अलावा हाल ही में दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता-इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया उद्योग में विश्वभर में व्यापक विकास हुआ है। मार्केट और प्रौद्योगिकियों दोनो का एक दूसरे के प्रति अभिमुख होना एक ऐसी वास्तविकता है, जो उद्योग के "रिएलाइनमेंट" पर दाबव डाल रही है। एक ओर, टेलीफोन और प्रसारण उद्योग एक-दूसरे के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वायरलाइन आरैर वायरलेस-जैसी भिन्न कण्ड्यूट-प्रणालियों के बीच के अंतर को प्रौद्योगिकी कम कर रही है। अधिकांश देशों की भांति, हमारे देश में बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने के लिए, इनमें प्रत्येक का अपने उद्योग का अलग स्वरूप होगा, कार्य-क्षेत्र में प्रवेश की शर्ते तथा जरूरतें भी अलग-अलग होंगी तथापि, इस अभिमुखता से, अब तकनीकी दृष्टि से, प्रचालक अपनी सुविधाओं से कुछ ऐसी सुविधाओं देने की स्थिति में हो गए हैं जो दूसरे प्रचालकों के लिए आरक्षित हैं। इससे मौजूदा नीतिगत ढ़ांचे पर पुनः विचार करना अनिवार्य हो गया है। नई दूरसंचार-नीतिगत ढ़ांचे से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे भारत को सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने और देश में विश्व स्तरीय दूसंचार-ढ़ांचा विकसित करने में सहायता मिलेगी।

2.0 नई दूरसंचार-नीति, 1999 के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नई दूरसंचार-नीति, 1999 के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसंचार-सुविधा को होना अति महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावकारी संचार-सुविधा प्रदान करना दूरसंचार-नीति की दूरदृष्टि तथा लक्ष्य है ;
  - उन सभी क्षेत्रों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार-सेवा की व्यवस्था को बराबर बनाए रखना, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में उच्च-स्तर की समर्थ सेवाएं प्रदान करना ;
  - देश के दूरवर्ती, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों मे दूरसंचार-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना;
- सूचना-प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूरसंचार और उपभोक्ता-इलैक्ट्रॉनिक की अभिमुखता को, ध्यान में रखते हुए, एक आधुनिक और सक्षम दूरसंचार का बुनियादी ढाँचा तैयार करना और फिर भारत को सूचना-प्रौद्योगिकी में एक महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करना ;
- पीसीओ को मल्टी क्षमता वाले और विशेषकर आईएसडीएन सेवाएं, दूरवर्ती डाटाबेस-एक्सेस, सहकारी एवं कम्यूनिटी सूचना-प्रणालियों आदि को पब्लिक टेली-इनफो-केन्द्रों में बदलना;

- शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में दूरसंचार-सैक्टर को एक समयबद्ध तरीके से ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मे बदलना, जहां सभी-प्रदाताओं को समान अवसर मिल सके;
- देश में अनुसंधान एवं विकास-संबंधी प्रयासों को मजबूत बनाना तथा विश्व-स्तर की विनिर्माण-क्षमताएं तैयार करने के लिए एक प्रेरणा-शक्ति प्रदान करना ; और
- स्पैक्ट्रम-मैनेजमेंट में कार्य-कुशलता एवं पारदर्शिता प्राप्त करना।
- देश की रक्षा और सुरक्षा हितों को संरक्षण प्रदान करना ;
- भारतीय दूरसंचार-कम्पनियों को विश्वभर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसार, राष्ट्रीय दूसंचार-नीति, 1999 में जिन विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना हैं, वे निम्नानुसार होंगे :

- वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा बाद में भी इसे कायम रखना, ताकि वर्ष 2005 तक 7 और 2010 तक 15 का टेलीघनत्व प्राप्त किया जा सके ;
- ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढ़ावा देना, उपयुक्त किराया-ढ़ांचा तैयार करके इसे और वहनीय बनाना तथा सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार प्रदान करने को अनिवार्य बनाना;
- वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व 0.4 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4 तक पहुंचाना तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों मे विश्वसनीय संचारण-मीडिया प्रदान करना ;

- देश के सभी गांवों में टेलीफोन-सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना व वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना ;
- वर्ष 2000 तक सभी जिला-मुख्यालयों में इंटरनेट-सुविधाएं प्रदान करना ;
- वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों में आईएसडीएन सहित उच्च गति-डाटा तथा मल्टी मीडिया-कैपेबिलीटी वाली प्रौद्योगिकी प्रदान करना।

3.0 नया नीतिगत ढ़ांचा

नया नीतिगत ढ़ांचा, ऐक ऐसा वातावरण तैयार करने पर केन्द्रित हो, जो इस क्षेत्र में निवेश को बराबर आकर्षित करता रहे तथा प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर संचार का बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने में सहायक हो सके। इसके लिए नया नीतिगत ढ़ांचा दूरसंचार-सेवा क्षेत्र पर निम्नानुसार विचार करेगा:-

- सेल्युलर मोबाइल सेवा-प्रदाता, फिक्स्ड सेवा-प्रदाता और केबल-सेवा-प्रदाता, जिन्हें संयुक्त रूप से "एक्सेस-प्रोवाइडर्स" कहा गया है।
- "रेडियो पेजिंग-सेवा-प्रदाता"
- "सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग-सेवा-प्रदता ।
- राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक
- अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक
- अन्य सेवा-प्रदाता
- ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन बाई सेटलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा प्रदाता ।
- वी-सैट अधारित सेवा-प्रदाता।

3.1 अभिगम्यता प्रदाता

3.1.1 सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता

सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) को किसी अतिरिक्त लाइसेंस के बिना अपने सेवा क्षेत्र में अपने लंबी दूरी परियात को ले जाने की अनुमति सहित मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य सेवा प्रदाता (किसी अन्य सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सहित) के साथ अवसंरचनात्मक भी भागीदारी सहित, सीधी कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्र मे सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को खोलने के लिए संरचना के एक अंग के रूप में इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जाएगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं की 1 जनवरी, 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी शुरू करने के बाद सीधी इन्टरकनेक्ट करने की अनुमति होगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अपने सेवा प्रचालन क्षेत्र में वायस, नान वायस संदेशों, डाटा सेवाओं तथा पीसीओ सहित किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रयोजन हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि ये उपस्कर अंतरराष्ट्रीय दूसरंचार (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के संगत मानकों के अनुसार हों।

सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए पृथक लाइसेंस दिया जाएगा। यह लाइसेंस प्रारंभ में बीस वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा तथा इसके बाद इसे दस वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए सेवा क्षेत्रों को मौजूदा दूसंचार नीति के अनुसार 4 महानगरीय सर्किलों तथा दूरसंचार सर्किलों की श्रेणियों में बांटा जाएगा। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता चाहे जितने ही सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस लेना चाहें, वे उनके लिए पात्र होंगे।

प्रत्येक प्रचालक को पर्याप्त आवृत्ति स्पेक्ट्रम की उपलब्धता न केवल इष्टतम बैंडविड्थ मुहैया करवाने के लिए अनिवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश के लिए भी जरूरी है। आवृत्ति स्पेक्ट्रम बैंड की तत्काल उपलब्धता के आधार पर पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दो प्रचालकों के अलावा दूसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यदि चाहे तो समयबद्ध आधार पर तीसरे प्रचालक के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। एक प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रदाता के बीच बराबर की सुनिश्चितता के लिए दूरसंचार विभाग को भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। तथापि, चूंकि दूरसंचार विभाग एक राष्ट्रीय सेवा प्रदाता है तथा उसकी कई ग्रामीण तथा सामाजिक बाध्यताएं हैं अतः सरकार दूरसंचार विभाग को पूरे शुल्क की प्रतिपूर्ति कर देगी।

यह प्रस्ताव हैं कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के उभरते, परिदृश्य, समय-समय पर स्पेक्ट्रम इष्टतम उपयोग, बाजार की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा तथा जनता के अन्य हितों को ध्यान मे रखते हुए स्पेक्ट्रम के उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिए। किसी सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों को प्रवेश की अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर होगी जो इसकी समीक्षा अपेक्षानुसार तथा हर हालात में दो वर्षो में करेगा।

सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रवेश शुल्क का एक बार भुगतान अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतिरिक्त प्रचालकों के चयन का आधार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा सेल्यूलर मोबाल सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षा होगी कि वे राजस्व बंटवारे के आधार पर लाइसेसं शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए राजस्व बंटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबद्ध रूप से सिफारिश करेगा।

3.1.2 स्थिर (फिक्स्ड) सेवा प्रदाता

स्थिर सेवा प्रदाता को अपने सेवा में फिक्स्ड सेवा प्रदान करने के तथा लंबी दूरी परियात के लिए किसी अतिरिक्त लाइसेंस के बगैर "लास्ट माइल " लिंकेज स्थापित करने की अनुमति होगी। फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के बीच अथवा किसी अन्य सेवा प्रदाता (फिक्स्ड सेवा प्रदाता सहित) के बीच अपने प्रचालन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक भागीदारी सहित किसी अन्य सेवा के साथ सीधी कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। जिसकी घोषणा राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिए ढ़ांचे के एक अंग के रूप में 15 अगस्त, 1999 तक कर दी जाएगी। एक जनवरी, 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के बाद फिक्स्ड सेवा प्रदाता को विदेशी संचार निगम लिमिटेड के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने क्षेत्र में अन्य सेवा प्रदाताओं को विदेश संचार निगम लिमिटेड के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने क्षेत्र मे अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया करवाए गए "लास्टमाइल " लिंकेज या पारेषण लिंक उपयोग करने की अनुमति भी होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने सेवा क्षेत्रों में स्थिर सेवा प्रदाताओं को वायस तथा नान वायस संदेश डाटा सेवाओं सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। इस हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते कि ये उपस्कर अंतरराष्ट्रीय, दूरसंचार यूनियन (आईटीयू)/दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार हो।

प्रत्येक सेवा क्षेत्र स्थिर सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के लाइसेंस दिया जाएगा। ये लाइसेंस प्रारम्भ में बीस वर्षों के लिए दिए जाएंगे तथा इसके बाद इन्हें दस वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्थिर सेवा प्रदाता कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेसं लेने के लिए पात्र होंगे।

जहां संक्रमण काल में अंतिम रूप से बाजार शक्तियां हों स्थिर सेवा प्रदाताओं की संख्या का निर्धारण करेंगी, वहां प्रवेश करने वाले सेवा प्रदाताओं को सावधानी पूर्वक यह निर्णय लेना होगा कि ऐसा सेवा प्रदाता जो गंभीर नहीं है, उन्हें इससे अलग कर दिया जाए तथा नए प्रचालकों को प्रवेश देकर उन्हें संस्थापित होने दिया जाए। अतः ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं, वहां पांच वर्षों के प्रवेश की नीति अपनाई गई है। सेवाप्रदाताओं की संख्या तथा उनके चयन की पद्धति के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे समयबद्ध आधार पर किया जाना चाहिए।

स्थिर सेवा प्रदाताओं लाइसेंसधारकों को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी स्थिर सेवा प्रदाता लाइसेंसधारक राजस्व बंटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे। यह प्रस्ताव किया जाता है कि नई दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों हेतु लाइसेंस शुल्क को उपयुक्त सीमा तथा राजस्व बंटवारें के प्रतिशत के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समयबद्ध आधार पर अपनी सिफारिश करेगा।

सेल्यूलर की तरह ही डब्ल्यूएलएल के मामले में भी उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम न केवल प्रत्येक प्रचालक को इष्टतम बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए अनिवार्य है, बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी जरूरी हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्पेक्ट्रम उपलब्धता के उभरते परिदृश्य, स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग बाजार अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा तथा जनहित की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम उपयोगिता की समीक्षा की जाए ।

जिन स्थिर सेवा प्रदाताओं को डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होगी तो उन्हें, एफएसपी प्रवेश शुल्क के अलावा एक बार के अतिरिक्त भुगतान पर यह फ्रिक्वेंसी दे दी जाएगी । प्रवेश शुल्क तथा डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी के आवंटन के बारे में उन्हें राजस्व बंटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान

करना होगा। राजस्व बंटवारे को यह प्रतिशतता स्थिर सेवा प्रदाता (एफएसपी) लाइसेंस के लिए भुगतान योग्य प्रतिशतता के अलावा हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि प्रचालक के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए प्रवेश शुल्क का उचित स्तर तथा डब्ल्यूएलएल के लिए राजस्व बंटवारे की प्रतिशतता की अनुशंसा नई दूर-संचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समयबद्ध ढंग से की जाएगी।

3.1.3 केबल सेवा प्रदाता

केबल विनियमन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत केबल सेवा प्रदाता (सीएसपी) को अपने प्रचालन के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत "लास्ट माइल" तक संयोजकता प्रदान करने तथा स्विच्ड सेवाएं प्रदान करने एवं मीडिया सेवा प्रचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जो अनिवार्य रूप से एकतरफा मनोरंजन संबंधी सेवाएं हैं। केवल सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्रचालन के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा-प्रदाताओं के बीच सीधी अंतर संयोजकता तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ अवसंरचना की सहभागिता की अनुमती होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा-प्रदाताओं के बीच अंतर संयोजकता की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त, 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा खोलने के ढ़ांचे के भाग के रूप में घोषित की जाएगी। अभिमुखता को देखते हुए इसकी अधिकाधिक संभावना है कि (वायस डाटा तथा सूचना सेवाओं सहित) दो तरफा संचार केबल नेटवर्क द्वारा किया जाएगा तथा भविष्य में यह महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आएगी। इन सेवाओं को केबल नेटवर्क द्वारा प्रदान करना स्थिर सेवा प्रदान करने के बराबर होगा। तदनुसार यदि सीएसपी द्वारा उनके अपने नेटवर्कों का उपयोग कर उक्त दोतरफा संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन्हें एक स्थिर सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करना होगा और स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थिर सेवा प्रदाता की लाइसेंस शर्तों का मानना होगा।

3.2 इन्टरनेट टेलीफोनी

इस स्थिति में इन्टरनेट टेलीफोनी अनुमत्य नहीं होगी, तथापि सरकार प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा इसके राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव की मॉनटरिंग करती रहेगी तथा उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की समीक्षा करेगी।

3.3 रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता

रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं (आरपीएसपी) को अपने प्रचालन के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पेजिंग सेवा करने की अनुमति होगी। लाइसेंसशुदा रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्रचालनक क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा प्रदाताओं के बीच सेवा क्षेत्रों में अंतर संयोजकता तथा अवसंरचनात्मक भागीदारी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतर संयोजकता की समीक्षा की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त, 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालन खोलने के ढ़ांचे के भाग के रूप में की जाएगी।

आरपीएसपी को प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इन्हें प्रारंभिक 20 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जिसकी समयावधि बाद में 10 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा संरचना के अनुसार सेवा क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया जाएगा। रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता किसी भी संख्या में सेवा क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्रदान करने के पात्र होंगे।

समुचित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक सेवा प्रदाता की इष्टतम बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए आवश्यकता है, बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी अनिवार्य है। यह प्रस्ताव है कि स्पैक्ट्रम उपलब्धता के उभरते हुए परिदृश्य, स्पैक्ट्रम का इष्टतम प्रयोग, बाजार की आवश्यकताएं, प्रतियोगिता तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्ट्रम के उपयोग की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। एक सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों का प्रवेश टीआरएआई की सिफारिशों के आधार पर होगा जो यथापेक्षित रूप से हर हालत मे दो वर्षों के अंदर ही इसकी पुनरीक्षा करेगा।

रेडियो पेजिंग के लाइसेंस धारक एक बार प्रवेश शुल्क देंगे । प्रवेश शुल्क का निर्धारण, और अतिरिक्त प्रचालकों का चयन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। रेडियो पेजिंग के सभी लाइसेंसधारक राजस्व शेयर के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगे। राजस्व बंटवारे का प्रतिशत, आरपीएसपी द्वारा अर्जित समस्त सकल रेडियो पेजिंग राजस्व पर लागू होगा। यह प्रस्ताव किया जाता है। कि प्रवेश शुल्क का उपयुक्त स्तर पर विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों के लिए राजस्व शेयर की व्यवस्था की सिफारिश नई दूरसंचार नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टीआरएआई द्वारा समय-बद्ध ढंग से की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय दूसरंचार विनियामक प्राधिकरण व्यवहार्यता को देखते हुए रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता तथा अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं के मध्य राजस्व बंटवारे की व्यवस्था की जांच व अनुशंसा भी करेगा।

3.4 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदाता

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएमआरटीएसपी) को उनके प्रचालन के सेवा क्षेत्रों के भीतर मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसीकृत पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदाता के बीच उनके प्रचालन क्षेत्र में सीधी अंतर संयोजकता की अनुमति सीएमएसपी लाइसेंसी को ध्यान में रखते हुए विधिक अड़चनों की जांच करने के पश्चात दी जाएगी।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रचालन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस प्रारम्भ में 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और इसके पश्चात उसकी अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ा दी जाएगी। इस उद्देश्य हेतु सेवा क्षेत्रों के विद्यमान ढ़ांचे के अनुसार श्रेणीबद्ध कर दिया जाएगा। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सेवा क्षेत्रों की किसी संख्या के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस के लाइसेंसधारी प्रदाताओं को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। प्रवेश शुल्क के निर्धारण के आधार तथा अतिरिक्त प्रचालकों के चयन के

आधार की अनुंशसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लाइसेंसधारी प्रदाताओं के एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के अलावा उन्हें राजस्व शेयर पर आधारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि नई दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सेवा क्षेत्रों के लिए प्रवेश शुल्क के उपयुक्त स्तर तथा राजस्व शेयर की प्रतिशतता की व्यवस्था के बारे में अनुशंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

3.5 राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक

सेवा क्षेत्र से परे, लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवा निजी प्रचालकों के, के लिए प्रतियोगिता हेतु 1 जनवरी, 2000 से आरम्भ होगी। देश में लम्बी दूरी की बैंडविड्थ की संरचना को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को चयन का विकल्प प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालकों को उपभोक्ताओं तक अभिगम्यता के लिए सक्षम होना होगा। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सभी अभिगम्यता प्रदाताओं के आदेशात्मक रूप से राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रदाताओं के अंतर संयोजन प्रदान करना आवश्यक होगा। जिसके परिणामस्वरूप विकल्प के रूप में उपभोक्ताओं के किसी प्रचालक के माध्यम से लम्बी दूरी को काल की जा सके। इस उद्देश्य के लिए निबंधन और शर्तें तथा अन्य रूपात्मकताएं टीआरएआई के साथ परामर्श से तैयार की जाएंगी और इन्हें 15 अगस्त, 1999 तक घोषित कर दिया जाएगा। निबंधन तथा शर्तों में प्रचालकों की संख्या राजस्व के बांटने के आधार पर लाइसेंस की शर्तों तथा अन्य संबंधित मामलों का उल्लेख भी किया जाएगा।

लंबी दूरी के राष्ट्रीय डाटा संचार के लिए, पब्लिक और प्राइवेट पॉवर पारेषण कंपनियों के मौजूदा बैक बोन नेटवर्क/रेलवे/जी एआईएल/ओएनजीसी इत्यादि के लिए तत्काल तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के वायस संचारण के लिए 1 जनवरी, 2000 से अनुमति दी जाएगी।

डोमेस्टिक टेलीफोनों के लिए रीसेल की अनुमति दी जाएगी और उसकी प्रक्रियाओं की घोषणा राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा शुरू करने के साथ-साथ 15 अगस्त, 1999 तक कर दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा पर री-सेल की अनुमति वर्ष 2004 तक नहीं दी जाएगी।

3.6 अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी सेवा शुरू करने के विषय पर प्रतिस्पर्धा की वर्ष 2004 तक समीक्षा की जाएगी।

3.7 अन्य सेवा प्रदाता

टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली एजूकेशन, टेली-ट्रेडिंग, टेली-कामर्स जैसी अन्य सेवाओं के प्रदाताओं के आवेदनों के लिए विभिन्न अभिगम्यता प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी अवस्थापना का इस्तेमाल करके प्रचालन को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा। ये सेवा प्रदाता अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं के सेवा-क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और वे स्विच्ड टेलीफोनी प्रदान नहीं करेंगे।

3.8 ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विसिज

सरकार ने भारत में जीएमपीसीएस मार्केट खोली है और इसके लिए एक अनन्तिम लाइसेंस जारी किया है। अनंतिम लाइसेंस की शर्तों को टी आर ए आई के परामर्श के साथ् 30 जून, 1999 तक अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता होगी। भारत से शुरू होने वाली और भारत में आने वाली सभी कालें वीएसएनएल गेटवे से गुजरेंगी, अथवा बाई पास के मामले में भारतीय गेटवे में इन कॉलों की निगरानी किया जाना संभव होना चाहिए। यदि गेटवे बाई-पास्ड हों, तो वीएसएनएल को इसकी भी प्रतिभूति की जानी है।

जीएमपीसीएस प्रचालक वॉयस और नॉन वॉयस संदेशों, डाटा सेवा तथा सूचना सेवाएं प्रदान करने में स्वतंत्र हैं, इसके प्रयोजनार्थ प्रचालक सर्किट तथा/अथवा पैकेट स्विचों सहित किसी भी तरह के नेटवर्क उपस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि यह उपस्कर संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू)/दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) मानकों को पूरा करते हों। सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद लाइसेंस दिए जाएंगे।

नई दूरसंचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रवेश शुल्क/राजस्व की हिस्सेदारी के ढांचे की सिफारिश टीआरएआई द्वारा की जाएगी।

3.9 सेटकॉम नीति

सेटकॉम नीति में प्रयोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था होगी कि वे घरेलू/विदेशी दोनों उपग्रहों के माध्यम से ट्रांसपोंडर क्षमता का लाभ उठा सकें। तथापि, यह व्यवस्था अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से की जानी होगी।

मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता नीति के तहत, डाटा के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी संचारण माध्यम शुरू हो गया है। इस उद्देश्य के लिए सेटकॉम का इस्तेमाल करने हेतु गेटवे की अनुमति दी जाएगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि संचार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाने वाले केयू फ्रिक्वेंसी बैंड की अनुमति दी जाएगी।

3.9.1 वी-सेट सेवा प्रदाता

वी-सेट सेवा प्रदाताओं को शुरू के बीस वर्षों के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे और इसके बाद इसकी अवधि दस वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाएगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर संयोजकता की समीक्षा टीआरएआई के परामर्श से की जाएगी और राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिए ढांचे के भाग के रूप में इसकी घोषणा 15 अगस्त, 1999 तक कर दी जाएगी।

वी-सेट सेवा प्रदाताओं को गैर-विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। प्रारम्भ में लाइसेंस 20 वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे बाद में इसकी अवधि दस वर्ष और बढ़ा दी जाएगी।

वी-सेट लाइसेंसधारकों से एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतिरिक्त प्रचालकों के चयन का आधार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा, वी-सेट लाइसेंसधारकों से यह भी अपेक्षा होगी कि वे राजस्व बंटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा राजस्व बंटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबद्ध रूप से सिफारिश करेगा।

3.10 इलेक्ट्रानिक कॉमर्स

ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सूचना अबाध्य रूप से पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय मार्गों पर 10 जीबी के पर्याप्त बैंडविड्थ विकसित करने तथा कतिपय संकुलित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों पर टेराविट्स की आवश्यकता का शीघ्र पता लगया जाएगा ताक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रानिक कॉमर्स के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

3.11 मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का समाधान

नए नीति गत ढांचे मे उद्योग की प्रतिर्स्पधात्मक प्रवृति को पर्याप्त रूप से पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो नए लाइसेंसधारकों पर लागू होंगी।

तथापि, सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, बुनियादी सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं आदि के लिए मल्टीपल लाइसेंस भी जारी किए हैं। सरकार का इरादा यह है कि मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान इस ढंग से किया जाए जो उनकी संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप हों तथा कानूनी तौर पर तर्कसंगत हो।

4.0 दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन

आमतौर पर पूरे विश्व में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सरकार का अपना प्रचालक प्रमुख भूमिका अदा करता है। भारत में, दूरसंचार विभाग ने 1 अप्रैल, 1992 की 58.1 लाख लाइनों को बढ़ाकर दिसंबर, 1998 में 191 लाख लाइनों तक पहुंचाकर अपने दायित्व का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह किया है। सीएजीआर में यह 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है। दूरसंचार विभाग की उम्मीद है कि वह इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा।

इस समय, लाइसेंस प्रदान करना, नीति निर्माण तथा सेवा व्यवस्था संबंधी कार्य एक प्राधिकरण के अधीन हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार विभाग के नीति और लाइसेंस कार्यों को निगम बनाने के प्रारंभिक चरण के रूप में एक पृथक दूरसंचार सेवा का गठन करके सेवा कार्यों से अलग करने का निर्णय लिया है। दूरसंचार विभाग का निगमितकरण सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 तक किया जाएगा।

निगमित दूरसंचार विभाग के साथ एमटीएनएल/वीएसएनएल के सभी प्रकार के भावी संबंध (प्रतिस्पर्धा, संसाधनों में वृद्धि करना आदि) वाणिज्यिक सिद्धांतों पर आधारित होंगे।

एमटीएनएल, वीएसएनएल तथा निगमित दूरसंचार विभाग के सहकार्यों का इस्तेमाल अन्य देशों के प्रचालन के नए परिदृश्य स्थापित करने में किया जाएगा।

5.0 स्पेक्ट्रम प्रबंध

नई प्रौद्योगिकियों के आने तथा दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती हुई मांग से, स्पेक्ट्रम की मांग में कई गुना वृद्धि हुई। अतः यह जरूरी हो गया है कि स्पेक्ट्रम का कुशलतापूर्वक, किफायती, नियंत्रित और इष्टतम उपयोग किए जाए। सेवा में फ्रिक्वेंसी, स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिए इसके आवंटन तथा इसे विशिष्ट शर्तों के तहत विभिन्न प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने की एक पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफएपी) पिछली बार 1981 में स्थापित की गई थी और तब से इसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। नई प्रौद्योगिकियों के आने से, यह जरूरी हो गया है कि एनएफएपी को पूरी तरह से संशोधित किया जाए, ताकि यह सभी प्रयोक्ताओं के बीच देश में विकास विनिर्माण और स्पेक्ट्रम उपयोगिता के क्रियाकलापों के लिए आधार बन सके। इस समय एनएफएपी की समीक्षा की जा रही है ओर संशोधित एनएफएपी-2000, वर्ष 1999 के अंत तक सार्वजनिक कर दी जाएगी जिसमें सुरक्षा संबंधी सूचना को छोड़कर विभिन्न सेवाओं के लिए फ्रिक्वेंसी आवंटन के बारे में सूचना का ब्यौरा दिया जाएगा। एनएफएपी समीक्षा दो साल के अंतर की जाएगी और जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमों के अनुसार होगी।

मौजूदा स्पेक्ट्रम की पुनः स्थापना और क्षतिपूर्ति :

- संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- रक्षा विभाग और अन्यों को उपयुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड प्रदान किए जाते रहे हैं और इन्हें पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लागत प्रभावी ढंग से स्पेक्ट्रम का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। पुनः स्थापना के लिए क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा वसूल किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क और राजस्व शेयर से प्रदान की जाए।
- स्पेक्ट्रम आवंटनों की योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित फ्रिक्वेंशी बैंड उपलब्ध हो सकें।

फ्रीक्वेंशी स्पेक्ट्रम के आवंटन की एक पारदर्शी प्रक्रिया रखने की जरूरत है जो प्रभावकारी एवं सक्षम हो। इसकी आईटीयू के मार्ग निर्देशनों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच करनी होगी। फिलहाल के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की प्रक्रिया अपनानी होगी :-

- स्पेक्ट्रम के उपयोग का शुल्क वसूला जाएगा।
- स्पेक्ट्रम उपलब्धता की आवधिक समीक्षा करने ओर व्यापक आवंटन नीति के लिए, बेतार आयोजना समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी) के नाम से पुकारे जाने वाले अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समूह का गठन, संचार मंत्रालय के भाग के रूप में किया जाएगा।
- अगले तीन महीनों डब्ल्यूपीसी स्कंध में व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि वर्ष 2000 के अंत तक सभी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

6.0 सार्वभौमिक सेवा बाध्यता

सरकार वहनीय और वाजिब मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है :

- वर्ष 2002 तक देश के उन शेष 2.9 लाख गांवों में वॉयस और कम गति डाटा सेवा प्रदान करना जहां अभी तक यह सेवा प्रदान नहीं की गई है।
- वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा देना।
- वर्ष 2002 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना।

सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए "यूनिवर्सल एक्सेस लेवी " के जरिए संसाधनों को जुटाया जाएगा जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व हिस्से का प्रतिशत होगा। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के लिए राजस्व हिस्से की प्रतिशतता का निर्धारण टीआरएआई के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए यूएसओ बाध्यता का क्रियान्वयन उन सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों के जरिए वायस की जाएगी। अन्य सेवा प्रदाताओं को यूएसओ प्रावधान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक हो और इस पर होने वाला व्यय युनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों से पूरा किया जाएगा।

7.0 विनियामक की भूमिका

उपभोक्ता हितों की रक्षा करने तथा बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी विनियंत्रण रूप में पर्याप्त संरक्षण संबंधी संरचना प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएसआई) का गठन किया गया था। सरकार एक व्यापक अधिकार युक्त सशक्त एवम् स्वतंत्र विनियामक के लिए तथा एक ऐसे प्राधिकरण जो अपना कार्य प्रभावी ढंग से करे, के लिए वचनबद्ध है।

इस उद्देश्य की प्रगति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा :-

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को निर्देशन जारी करने के लिए टीआरएआई अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए न्याय-निर्णय देने का पूरा अधिकार है। न्याय-निर्णय किन-किन क्षेत्रों में देना है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि टीआरएआई के पास धारा-13 के अंतर्गत सरकार (इसकी भूमिका सेवा प्रदाता के रूप में है) को निर्देश देने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास सरकार भूमिगत सेवा प्रदाता के रूप में है और किसी अन्य सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय देने का अधिकार है।
- सरकार (इसकी भूमिका लाइसेंसदाता के रूप में है) और किसी लाइसेंस धारक के बीच विवादों के समाधान के लिए टीआरएआई को माध्यस्थम संबंधी कार्य सौंपा जाएगा।
- सरकार भविष्य में नये लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के पूर्व नये लाइसेंसों की अवधि एवम् संख्या के संबंध में निरन्तर टीआरएआई की अनुशंसा मागेंगी।

- लाइसेंसदाता और नितिनिर्माता के कार्य सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के अनुसार निष्पादित किये जाते रहेंगे। कार्यकलापों के संबध में यदि टीआरएआई को अनुशंसात्मक भूमिका सौंपी जाती है तो सरकार के लिए यह सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं होगा कि वह टीआरएआई की सिफारिशें मांगे।

8.0 अन्य मुद्दे

8.1 मानकीकरण

एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से, उपस्कर तथा सेवाओं के संबंध में, दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) द्वारा संयुक्त मानक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। टीईसी, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के संबंध में इंटरकनेक्ट तथा इन्टरफेस अनुमोदन भी प्रदान करता रहेगा।

8.2 दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण

देश में ही इस्तेमाल तथा निर्यात, दोनों उद्दश्यों से देश में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार स्वदेशी उपस्करों का इस्तेमाल करने वाले सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के साथ-साथ, संचार क्षेत्र को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन देगी।

8.3 मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण

मानव संसाधनों को वास्तविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दूरसंचार के सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन के विकास तथा इन क्षेत्रों में इस सुविज्ञता के विस्तार पर बल दिया जाएगा। अन्य देशों को भी उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास

यह मानते हुए कि दूरसंचार, अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु एक प्रथम पूर्वापेक्षा है, दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि संचार उद्योग सेवा प्रदान करने तथा विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश किया है। स्वदेशी औद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा विनिर्माताओं के सहयोग से प्रमुख तकनीकी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास शुरू करने को बढ़ावा दिया जाएगा तथा दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहु-आयामी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप विकसित किए जा सके।

8.5 आपदा प्रबंधन

आपदाओं की भविष्यवाणी, निगरानी तथा आपदाओं की अग्रिम चेतावनी, विशेषकर-सूचनाओं के अग्रिम प्रसार में सांसारिक तथा उपग्रह दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रबंधन टेलीफोनों तथा सीमा पार दूरसंचार के निर्बाध प्रयोग के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचा विकसित करने हेतु वित्तीय प्रति को अनिवार्य बनाया जाएगा।

8.6 दूरस्थ क्षेत्र टेलीफोनी

ग्रामीण टेलीफोनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण विशेष ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र के रूप में किया जाए ताकि वहां दूरसंचार का त्वरित विकास किया जा सके। दूरसंचार के समुचित विकास के लिए चिह्नित ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास में रक्षा मंत्रालय को अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य सौंपा जाएगा

8.7 दूरसंचार उपस्कर एवं सेवाओं का निर्यात

दूरसंचार उपस्कर एवं सेवाओं के निर्यात को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न दूरसंचार विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं की मिली-जुली योग्यताओं का दोहन करके, निर्यात हेतु एकीकृत समाधान मुहैया करवाने में इनका प्रयोग किया जाएगा।

8.8 राइट ऑफ वे

सरकार ने माना है कि दूरसंचार नेटवर्क का समय पर क्रियान्वयन करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे क्लीयरेंस के लिए शीघ्र मंजूरी देना अति महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/भूतल परिवहन मंत्रालय इत्यादि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

9.0 विधान में परिवर्तन

भारतीय दूरसंचार प्रणाली को इस समय भारतीय तार-अधिनियम, 1885 (भा.ता.अ. 1885) तथा भारतीय बेतार अधिनियम, 1933 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1992 से दूरसंचार क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं, आईटीए 1885 को बदलकर उसके स्थान पर एक अग्रदर्शी अधिनियम अपनाए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति - 1999 का अनुशेष

भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-1

सं0 808-26/2003-वीएएस दिनांक 11.नवंबर, 2003

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नई दूरसंचार नीति-1999(एनटीपी-99) के लिए अनुशेष

टेलीघनत्व के शीघ्र विस्तार की सुनिश्चितता हेतु एनटीपी-99 के केंद्रीय लक्ष्य के मद्देनजर; प्रतिस्पर्धा के कारण दूरसंचार सेवाओं के अभूतपूर्व विस्तार के मद्देनजर; प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप प्रशुल्क में आई अत्यधिक गिरावट के मद्देनजर; इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रौद्योगिकियों में उन्नति से पूर्व लाइसेंसिंग प्रणालियों के तहत किए गए अंत समाप्त हो चुके हैं; इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रौद्योगिकियों में तीव्र उन्नति भी अपरिहार्य है; दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की लागतों में अत्यधिक कमी के मद्देनजर; बेतार सेवाओं के लिए प्रशुल्कों का तेजी से हो रहे अभिसरण के मद्देनजर; इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत के लिए संचार प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ऐसी सेवाएं सबसे सस्ती संभव दरों और सबसे विश्वसनीय माध्यम से प्रदान करना एक अनिवार्य शर्त है, तथा जैव सूचना विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में स्वयं को प्रमुख के रूप में स्थापित करने के लिए; इस बारे में ट्राई की सिफारिशों के मद्देनजर; सरकार ने सामान्यतः सार्वजनिक हित और विशेषतः उपभोक्ता हित और टेलीग्राफ तथा दूरसंचार सेवाओं के उचित संचालन के लिए यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसों की निम्नलिखित श्रेणियां भी होंगी।

i. दूरसंचार सेवाओं का एकीकृत लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विभिन्न भोगौलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए सभी दूरसंचार/टेलीग्राफ सेवाएं प्रदान करने की अनुमति हो।

ii. एकीकृत अभिगम (बुनियादी और सेल्यूलर) सेवाओं का लाइसेंस जिसमें लाइसेंसधारी को निर्धारित सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बुनियादी और/या सेल्यूलर सेवाएं प्रदान करने की अनुमति हो।

(ए0एस0 वर्मा)
निदेशक (वीएएस-।।)